जिला पदाधिकारी, सारण के अध्यक्षता में दिनांक–14.03.15 को आयोजित प्रधान लिपिकों के बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति** – पंजी में संधारित है।

2. **कार्यवाही** – सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा गत बैठक में कार्यालय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के निमित दिये गये सुझाव/निर्देश एवं मुख्य सचिवालय, पटना के पत्र सं0–2438 दिनांक–12.02.15 जिसके द्वारा कार्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए दिये गये सामान्य प्रशासनिक अनुदेश का अनुपालन किये जाने की जानकारी प्रधान लिपिकों से प्राप्त की गई। पुनः उसे दुहराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्न कार्यालयों के प्रधान लिपिक बैठक में अनुपस्थित है :–

प्रखंड कार्यालय–मांझी, मशरक/अंचल कार्यालय–दरियापुर, बाल विकास परियोजना कार्यालय–छपरा सदर, जलालपुर, अमनौर, तरैया, इसुआपुर, दिघवारा, दरियापुर, नगर परिषद,सारण, नगर पंचायत, सोनपुर एवं जिला कृषि पदाधिकारी का कार्यालय, सारण।

उपरोक्त कार्यालयों के प्रधान लिपिकों के बैठक में अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप निम्नवत निर्देश दिये गये :–

क– प्रखण्ड कार्यालय, मांझी, मशरख/जिला कृषि पदाधिकारी का कार्यालय एवं नगर परिषद, सारण के प्रधान लिपिक अपने अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से देना सुनिश्चित करेगें। इसके निस्तार तक इन प्रधान लिपिकों का दिनांक–14.03.15 का वेतन स्थगित रहेगा। (अनुपालन संबंधित कार्यालय प्रधान)

ख– दिनांक–21.02.2015 को आयोजित बैठक में निम्न कार्यालयों के प्रधान लिपिकों यथा अंचल कार्यालय–दरियापुर, बाल विकास परियोजना कार्यालय–छपरा सदर, जलालपुर, अमनौर, तरैया, इसुआपुर, दिघवारा, दरियापुर के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी साथ ही उसके निस्तार तक दिनांक–21.02.15 का वेतन अवरूद्ध रखा गया था। पुनः आज की बैठक में ये प्रधान लिपिक अनुपस्थित पाये गये। इन प्रधान लिपिकों के अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में इनके विरूद्ध प्रपत्र–''क'' में आरोप गठित कर संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन संबंधित कार्यालय प्रधान)

जनशिकायत :– गत बैठक में दिये गये निर्देश के बावजूद समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जन शिकायत के लंबित मामले का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। निर्देश दिया गया कि दिनांक–21.03.2015 तक मुख्यमंत्री के जनता दरबार एवं सचिवालय से संबंधित तथा दिनांक–31.03.2015 तक आयुक्त/जिला पदाधिकारी के जनता दरबार से संबंधित जन शिकायत के लंबित मामलों का शतप्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा 01 अप्रैल से जिला में कैम्प लगाकर लंबित मामलों के निष्पादन सुनिश्चित करना होगा। प्रधान लिपिकों को निर्देश दिया गया

कि इससे संबंधित पंजी का संधारण निश्चित रूप से किया जाय, ताकि प्राप्त निष्पादित एवं लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त हो सकें।

RTPS:- गत बैठक में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आवेदन पत्रों का निष्पादन किये जाने, Service Counter को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये रखने के निमित कई निर्देश दिये गये है जिसका अनुपालन किये जाने की जानकारी प्राप्त की गई। बताया गया कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए इस जिला का रैंकिंग में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय। प्रधान लिपिकों को हिदायत देते हुए कहा गया कि वे कार्यालयों में दलालों एवं बिचौलियों को नहीं बैठने दे अन्यथा औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में ये पाये जाते है तो संबंधित प्रधान लिपिक के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

CWJC/MJC:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि M.J.C के 11 एवं C.W.J.C के 239 मामलों में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया जाना लंबित है। M.J.C से संबंधित मामले निम्न कार्यालयों यथा प्रखंड कार्यालय, सदर-2, तरैया-1, अंचल कार्यालय, परसा-1 असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय-1, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय-1, नगर परिषद, छपरा-4 एवं कार्यपालक अभियंता, सारण कैनाल डिविजन, गंडक प्रो0 छपरा-1 से संबंधित है। निर्देश दिया गया कि प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा अविलंब दायर करते हुए उसका ओथ सं0/दिनांक की सूचना जिला विधि शाखा, सारण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। बताया गया कि किसी पदाधिकारी के लापरवाही के कारण यदि माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति को स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसे पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

सेवान्त लाभः- विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में निम्न संख्या में सेवांत लाभ के मामले लंबित पाये गये :- प्रखंड कार्यालय, दिघवारा-2, सोनपुर-2, दरियापुर-5, गरखा-2, मढ़ौरा-1, तरैयार-1, इसुआपुर-1, बनियापुर-7, जलालपुर-1, नगरा-1, पानापुर-1, मांझी-2, रिविलगंज-1/अंचल कार्यालय, परसा-1, गरखा-3, इसुआपुर-1, बनियापुर-1, जलालपुर-1, पानापुर-1, मांझी-1/बाल विकास परियोजना कार्यालय, बनियापुर-1, गरखा-1, लहलादपुर-1, अमनौर-1, दिघवारा-1/जिला पंचायत शाखा-2, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-1, अनुमंडल कार्यालय,सदर-2, सोनपुर-2, भू0सु0उप समा0, सदर-1, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य-2 एवं जि0ग्र0वि0अ0,सारण-3 ।

प्रखंड कार्यालय, दिघवारा एवं सोनपुर के प्रधान लिपिकों द्वारा क्रमशः बताया गया कि सेवांत लाभ से संबंधित विपत्र कोषागार को एवं कटौती विवरणी प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजा गया है। सभी प्रधान लिपिकों को बताया गया कि इस प्रकार के मामले की सूचना जिला स्थापना शाखा को निश्चित रूप से दी जाय ताकि उस मामले का निष्पादन शीघ्र कराया जा सकें।

निर्देश दिया गया कि सेवांत लाभ के लंबित मामलों का निष्पादन 25.03.2015 तक निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा जनता दरबार की समाप्ति के उपरान्त 01 बजे अपराह्न से 02 बजे अपराह्न के बीच लंबित सेवांत लाभ से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आलोक में इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षाः- गत बैठक में निर्देश दिया गया था कि Tricycle के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों की स्वीकृति अविलंब प्रदान कर उसे प्रखंडों को उपलब्ध कराया जाय। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व के प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों के स्वीकृत्यादेश प्रखंडों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निर्देश दिया गया कि आज ही स्वीकृत्यादेश प्रधान लिपिक को उपलब्ध करा दी जाय साथ ही अगले सोमवार को पंचायत सचिव/विकास मित्र के सहयोग से Tricycle का वितरण सुनिश्चित किया जाय। बताया गया कि इससे संबंधित आवेदन पत्र समेकित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है जो अप्राप्त है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत माहों में आयोजित निःशक्ता कैम्प से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र कई कार्यालयों से अप्राप्त है। निर्देश दिया गया कि अविलंब उपयोगिता प्रपत्र पत्र उपलब्ध कराई जाय, अन्यथा दिनांक-22.03.15 को जिलास्तरीय आयोजित कैम्प में इसे निष्पादित कराया जाएगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देश दिया गया कि प्रखंड/अनुमंडल एवं जिला में कुछ Tricycle सुरक्षित रखी जाय, ताकि विशेष परिस्थिति में लाभुकों को उसे उपलब्ध कराया जा सकें।

परवरिश योजना :- राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के गैर-सांस्थानिक प्रयासों को उनकी सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़कर समुदाय आधारित व्यवस्था के निर्माण को प्रोत्साहित करते हुए परवरिश नाम की योजना शुरू की गई है जिसके कार्यान्वयन के फलस्वरूप अनाथ एवं अभिवंचित बच्चों का पालन-पोषण समुदाय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

1. योजना का लक्ष्य समूह :-

क- अनाथ एवं बेसहारा बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा अपने रिश्तेदार के साथ रहते है।

ख- एच0आई0वी0/एड्स/कुष्ठरोग से ग्रसित बच्चे।

ग- एच0आई0वी0/एड्स से पीड़ित माता/पिता के बच्चे।

घ-कुष्ठरोग के कारण 40% या उससे अधिक शारीरिक विकलांग माता/पिता के बच्चे

2. योजना की पात्रता :-

क- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो।

ख- पालन-पोषणकर्त्ता परिवार अथवा माता-पिता जो बी0पी0एल0 के अधीन सूचीबद्ध हो अथवा उनकी वार्षिक आय 60,000 रूपये से अधिक नहीं हो।

3. योजना के अन्तर्गत अनुदान की राशि :-

क- 0-6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 900/- रूपये प्रतिमाह।

ख- 6-18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 1000/- रूपये प्रतिमाह।

आवेदन की प्रक्रिया :- आवेदन पत्र आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका के पास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन पपत्र विभाग के वेबसाईट : http://socialwelfare.icdsbih.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदक, आवेदन पत्र भरकर एवं आवश्यक कागजात संलग्न कर CDPO (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) के कार्यालय में जमा करेंगे।

सम्पत्ति का ब्यौरा :- गत बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि सम्पति का ब्यौरा एवं कर्मियों की सूची 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय, जिसका अनुपालन नही किये जाने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि 17 मार्च तक यदि संपति का ब्यौरा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उनके विरूद्ध प्रपत्र-''क'' गठित किया जाय।

निरीक्षण प्रतिवेदन :- गत बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि कार्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराई जाय, जिसका अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया जा रहा है। पुनः कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया कि कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण 31 मार्च के पहले करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा एवं जिला स्थापना शाखा, सारण को उपलब्ध कराई जाय।

विधान सभा/लोक सभा प्रश्नोत्तर :- विधान मंडल का सत्र 22 अप्रैल तक चलना है। इस बीच विधायी मामलों से संबंधित प्राप्त प्रश्नों/पत्रों का निष्पादन बिना विलंब के किया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्राप्त पत्रों को प्राथमिकता देते हुए ससमय उतर सामग्री भेजना सुनिश्चित किया जाय।

डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र :- जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के साथ 15 दिनों पर लंबित डी0सी0विपत्रों/उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा की जाती है। गत बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि विभिन्न शाखाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्रखंड/अंचल/अनुमंडल कार्यालयों को उपलब्ध कराये गये राशि/आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र/डी0सी0विपत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप उसका समेकित विवरणी विभाग को भेजना लंबित है जिसके लिए विभाग से स्मार पत्र प्राप्त हो रहे है यह अत्यंत ही चिंता का विषय है। पुनः निर्देश दिया गया कि इसका अनुपालन इस माह के अन्त तक किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विविध :-

क- ऐसा पाया जा रहा है कि कराये गये कार्यो का भुगतान राशि/आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद संबंधित को समय पर न करते हुए उसे परेशान किया जाता है। इस प्रकार का कृत अपराध के श्रेणी में आता है। अतः इस प्रकार के कोई मामले लंबित नही होने चाहिए। यदि राशि अनुपलब्ध है तो आवंटन की माँग की जाय।

निर्देश दिया गया कि अनावश्यक किसी को परेशान नहीं किया जाय अन्यथा उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वाध्य होना पड़ेगा।

ख- प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सप्ताह में एक बार अपने सम्बद्ध प्रखंडों का भ्रमण कर लंबित कार्यो का निष्पादन एवं प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करावेगें।

ग- राजस्व कर्मचारियों के सेवा सम्पुष्टि हेतु अंचल कार्यालयों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी के संबंध में मांगे गये विवरण से संबंधित प्रधान लिपिक को अवगत कराते हुए अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

घ- जिला के विभिन्न कार्यालयों से प्रखंड/अंचल/अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराये गये राशि/आवंटन का व्यय एवं प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 31 मार्च के पूर्व संबंधित कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। यह भी बताया गया कि प्राप्त आवंटन का मिलान संबंधित कार्यालय से दो दिनों के अन्दर कर लेना सुनिश्चित करेगें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक-374/स्था0, छपरा दिनांक-20-03-15

प्रतिलिपिः- सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 प्रबंधक, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र,छपरा को सूचनार्थ एवं बेबसाइट/मेल पर प्रेषित करने हेतु निदेशित।

20/3/15
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा